

:- आदेश :-

निदेशालय के आदेश संख्या-4804-58ए/ई-3-टी-25बी(कार्यवाही), दिनांक-19/06/2004 द्वारा श्री प्रदीप कुमार, कर्मशाला अनुदेशक कार्पोरेट पुनर्जीवित प्रसाद प्रान्त-मिहौना पो-डीलतापुर जिला-जालीन, 3050-285 125 की राजकीय महिला पार्लियामेन्ट, अमेठी में की गई नियुक्ति को संशोधित करते हुये उन्हें अब राजकीय पार्लियामेन्ट, उरई में कर्मशाला, अनुदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति किया जाता है।

(उमा बिस्नी)

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, 30501

कानपुर, दिनांक-01/07/2004

सं: 5861-68/ई-3-टी-25-बी(कार्यवाही),

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कर्मवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
- पंजीकृत 2- श्री जी०सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग, 3050, इलाहाबाद को उसके गोपनीय/पंजीकृत पत्रांक-59(1)/34/डीआर/एस-12/02-03, दिनांक-29/01/2004 के अन्तर्गत में।
- 3- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, झांसी/लखनऊ।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य को इस आदेश से प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय उनके सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच स्वयं कर लें। अभ्यर्थी द्वारा संस्था में निर्धारित अधि तक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं इसके उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ-साथ नियुक्त अभ्यर्थी की फोटो भी संस्था प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं प्रमाणित कर निदेशालय एवं क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि नियुक्त अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी सूचना निर्धारित तिथि के बाद तुरन्त अधीनस्थानकी से नाम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपरोक्त पत्र पर।
- 5- प्रकरण सहायक बीमती रेवू, एब्रोल/श्री सुधीर हीजरा।

ए.पी. सिंह
 प्रदीप श्री प्रदीप कुमार
 ना पदभार ग्रहण
 करने की अनुमति प्रदान
 की गयी है।
 प्रकरण सहायक बीमती
 रेवू
 B. C. P.
 03/07/04

(उमा बिस्नी)
 प्रधानाचार्य (सु०) प्राविधिक शिक्षा,
 उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा,
 उत्तर प्रदेश।